"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3455/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 2837/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 23-07-2011 द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा एवं डभरा तहसील सहित वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए, कृषि उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री को विनियमित करने के लिए, चन्द्रपुर में मण्डी क्षेत्र स्थापित करने के आशय को संसूचित किया था.

यतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि चन्द्रपुर में नवीन मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, अतः कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुल्ला कार्य करती रहेगी.

अतएव, उक्त अधिसूचना क्र. 2837/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 23-07-2011 एतद्द्वारा, रद्द वापस ली जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक 3455/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3455/एफ-04/01/2010/2-2 दिनांक 7-8-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 7th August 2013

NOTIFICATION

No. 3455/F-04/01/2010/14-2.—The State Government by its notification vide No. 2837/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23-07-2011, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to establish a market area at Chandrapur, for regulation of purchase and sale of agricultural produce, comprising of tahsil Malkharoda and Dabhara inclusive of forest villages of Janjgir-Champa District.

Whereas, the State Government has dicided there is no need to establish a new market at Chandrapur as Krishi Upaj Mandi Samiti Amandulla shall remain functioning.

Now, therefore, the said notification No. 2837/F-04/01/2010/14-2, Raipur, Dated 23-07-2011 hereby stands revoked.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.